न्यालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 107 वर्ष 2022

आवेदक–भरत मॉझी वगैरह	क्रेता– निर्मल कुमार मुर्म
ग्राम – हरदी हरिडीह	ग्राम –बेलडीह
थाना – जरीडीह जिला–बोकारो	थाना –जरीडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
21/01/23	(see below)	09/04/23

आदेश

यह वाद आवेदकगण 01. भरत मॉझी 02. अजान मॉझी दोनों के पिता स्व0 हरीदास मॉझी निवासी ग्राम हरदी हरिडीह थाना जरीडीह जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/**(ख)** के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
हरदी हरीडीह	159	08	1049	1.33 ए0	22.16 डी0	कृषि योग्य

को वे अपने मकान बनाने हेतु मो0 2,00000/– (दो लाख) रूपये में क्रेता– निर्मल कुमार मुर्मू पिता मुंगेश्वर मॉझी निवासी ग्राम बेलडीह थाना जरीडीह जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 828/रा0 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 28 दिनांक 17.01.2023 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम हरदी हरिडीह एवं केता ग्राम बेलडीह एवं दोनो थाना–जरीडीह जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में गुंगला मॉझी वल्द दुर्गा मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी रूबा मॉझी वगैरह के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 143/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–2023 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि आपसी बॅटवारा द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध पिता पुत्र का है। बिक्री वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज गुंगला मॉझी के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है

तथा जमाबन्दी रूबा मॉझी वगैरह के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– गुंगला मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, रूबा मॉझी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीड़ीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता ग्राम हरदी हरीडीह एवं क्रेता ग्राम बेलडीह दोनों एक ही, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः वाद आवेदकगण 01. भरत मॉझी 02. अजान मॉझी दोनों के पिता स्व0 हरीदास मॉझी निवासी ग्राम हरदी हरिडीह जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
हरदी हरिडीह	08	1049	1.33 ए0	22.16 डी0	मथुर मॉझी	गया राम मॉझी	प्लॉट नं0 1050,1093	सर्वे रास्ता
कुल 22.16 डी0 (बाईस दशमलव एक छः) डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 2,00,000/– (दो लाख रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– निर्मल कुमार मुर्मू पिता मुंगेश्वर मॉझी निवासी ग्राम बेलडीह थाना जरीडीह जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

31/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

31/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.08.28 12:28:20 +05:30
Location: 192.168.1.2